मध्यप्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचदश विधान सभा द्वादश सत्र

सितम्बर, 2022 सत्र

गुरुवार, दिनांक 15 सितम्बर, 2022

(24 भाद्र, शक संवत् 1944)

[खण्ड- 12] [अंक-3]

मध्यप्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 15 सितम्बर, 2022

(24 भाद्र, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्न संख्या 1, डॉ. हिरालाल अलावा. हिरालाल अलावा जी प्रश्न करें. ..(व्यवधान).. प्रश्न संख्या 2, श्री कुणाल चौधारी.

धार जिले में उद्योगों को आवंटित भूमि

[राजस्व]

1. (*क्र. 398) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि**(क)** धार जिले में म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के अध्याय 18 में बताई गई दखल रहित भूमियों में से किस ग्राम की कितनी भूमि किस प्रकरण क्रमांक, आदेश, दिनांक से कलेक्टर या राजस्व विभाग के द्वारा उद्योगों को आवंटित किए जाने के संबंध में उद्योग विभाग को आवंटित की गई? आदेश की प्रति-सहित बताएं। **(ख)** उद्योग विभाग को प्राप्त भूमि भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 (1) में किस-किस प्रयोजन के लिए आरक्षित की गई? **(ग)** मनावर, गंधवानी एवं कुक्षी विधानसभा क्षेत्र में किन-किन शर्तों/नियमों के तहत किन-किन प्रयोजन/मद की जमीन किन-किन उद्योगों को किस दिनांक से लीज़ पर दी गई? प्रति-सहित बताएं। किन-किन उद्योगों की जमीनों की लीज़ समाप्त हो गई, किन उद्योगों ने लीज़ का नवीनीकरण कितने वर्षों के लिए किन प्रयोजन/मद के तहत कराया? प्रति सहित बताएं।

राजस्व मंत्री (श्री गोविन्द सिंह राजपूत) : (क) धार जिले में तहसील पीथमपुर के ग्राम गवला में 10.117 हेक्टेयर, तहसील धार के ग्राम जैतपुरा में 21.000 हेक्टेयर, ग्राम मगजपुरा में 6.487 हेक्टेयर, तहसील मनावर के ग्राम लुन्हेराबुजुर्ग में 20.000 हेक्टेयर, मोराड 0.858 हेक्टेयर, ग्राम मुहाली में 0.645 हेक्टेयर, ग्राम टोंकी में 63.50 हेक्टेयर, ग्राम टेमरनी में 3.726 हेक्टेयर, ग्राम गालपुरा में 14.569 हेक्टेयर, सोण्डुल में 0.729 हेक्टेयर, कस्थली में 0.261 हेक्टेयर, तहसील बदनावर के ग्राम खेरवास में 19.342 हेक्टेयर, भैसोला 632.501 हेक्टेयर, दोत्रया में

291.896 हेक्टेयर, ग्राम छायन में 52.278 हेक्टेयर, तिलगारा में 150.145 हेक्टेयर, भोईंदा में 12.404 हेक्टेयर, तहसील सरदारपुर के ग्राम हातोद में 65.785 हेक्टेयर, बोदला में 24.009 हेक्टेयर, ग्राम तारपुरा में 0.405 हेक्टेयर, ग्राम गवल्यावाडी में 31.317 हेक्टेयर, ग्राम कालीकिराय में 40.403 हेक्टेयर, ग्राम लोधीपुरा में 74.697 हेक्टेयर, ग्राम जैतापुर में 81.972 हेक्टेयर, पलास्या में 96.576 हेक्टेयर, ग्राम बलवारी में 79.154 हेक्टेयर, तारपुरा में 196.128 हेक्टेयर, कुण्डा में 38.543 हेक्टेयर, बासवी में 68.315 हेक्टेयर, लालबाग में 54.833 हेक्टेयर, तहसील गंधवानी के ग्राम करोंदिया में 8.975 हेक्टेयर, अतरसुमा में 1.500 हेक्टेयर, ग्राम घुरसल 7.108 हेक्टेयर इस प्रकार कुल 2170.178 हेक्टेयर भूमि उद्योग विभाग को आवंटित की गई। आदेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 (1) के अंतर्गत पड़त कदम घोषित की जाकर उद्योग विभाग को आवंटित की गई। **(ग)**

तहसील मनावर एवं कुक्षी की जानकारी निरंक हैं। तहसील गंधवानी में ग्राम करोंदियां, अतरसुमा, घुरसल की भूमि 18.503 हैक्टेयर कलेक्टर जिला धार के आदेश क्रमांक/39-43/नजूल/82 दिनांक 10 फरवरी 1982 एवं आदेश क्रमंक 178/रीडर-1/1984 दिनांक 02/03/1984 के द्वारा उद्योग विभाग को अंतरित की गई। उद्योग बिभाग के द्वारा मेसर्स महेन्द्र सीमेंट प्रा.लि. को आवंटन आदेश क्रमांक 8002 दिनांक 15/10/1984 क्षेत्रफल 3.762 हैक्टेयर भूमि स्थांयी लीज पर 99 वर्षो के लिए आंवटित की गई थी। तत्पश्चात उद्योग विभाग के आदेश क्रमांक 1284-1288 धार दिनांक 12/09/2002 के द्वारा मेसर्स सतगुरू सीमेंट ईकाई को लीज़ पर आवंटित की गई। आदेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है।

..(व्यवधान)..

डॉ. हिरालाल अलावा-- अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि..

अध्यक्ष महोदय-- (नेता प्रतिपक्ष के उठने पर) अलावा जी, एक मिनट. नेता प्रतिपक्ष जी बोल रहे हैं.

11.03 बजे

प्रश्नकाल में मौखिक उल्लेख

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. गोविन्द सिंह)-- अध्यक्ष महोदय, कल आसंदी से आपने आश्वासन दिया था कि पोषण आहार के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करायेंगे.

संसदीय कार्य मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र)-- अध्यक्ष महोदय, आसंदी ने यह आश्वासन नहीं दिया था कि आप मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य नहीं सुनो और हम चर्चा करायेंगे. आप लोगों ने उनका वक्तव्य नहीं सुना.

..(व्यवधान)..

श्री लक्ष्मण सिंह -- अध्यक्ष महोदय,कांग्रेस पार्टी को जवाब देने का अधिकार नहीं है क्या. अध्यक्ष महोदय, हम आपसे संरक्षण चाहते हैं.

..(व्यवधान)..

डॉ. नरोत्तम मिश्र-- अध्यक्ष महोदय, आप लोग मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य सुनेंगे नहीं, हम इनकी बात कैसे सुनेंगे.

..(व्यवधान)..

डॉ. गोविन्द सिंह-- अध्यक्ष महोदय, पोषण आहार मामले में सदन में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा हो, यह हमारी मांग थी. अध्यक्ष महोदय, आपने आश्वासन दिया था कि स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा होगी.

डॉ. नरोत्तम मिश्र-- आसंदी ने बिलकुल आश्वासन नहीं दिया था. आप मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे नहीं और हम उस पर चर्चा करेंगे, ऐसा कैसे होगा.

डॉ. गोविन्द सिंह -- अध्यक्ष महोदय, हमने इस पर स्थगन प्रस्ताव दिया है.

डॉ. नरोत्तम मिश्र-- कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं है.

डॉ. गोविन्द सिंह -- अध्यक्ष महोदय, आपने आश्वासन दिया था कि इस पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होगी.

डॉ. नरोत्तम मिश्र-- अध्यक्ष महोदय ने कोई स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की बात नहीं कही थी. यह गलत है. अध्यक्ष महोदय, आपने इनको ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया.

अध्यक्ष महोदय-- मैं बोल लूं.

डॉ. नरोत्तम मिश्र-- अध्यक्ष महोद, आपने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया.

..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- मैं बोल लूं. ..(व्यवधान).. कल जब मुख्यमंत्री जी अपना वक्तव्य पढ़ रहे थे, तब भी मैंने यह कहा था कि यदि अब आदेश हो गया आसंदी का, उनका वक्तव्य हो रहा है. मैंने यह कहा कि कई लोगों को, कई माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दूंगा. नेता प्रतिपक्ष को भी उनकी प्रतिक्रिया देने का अवसर मिलेगा. इसके बाद भी कई लोगों को अवसर दूंगा और मैंने कहा भी जब मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य समाप्त हुआ. मैंने नेता प्रतिपक्ष का नाम बुलाया. आप खड़े भी हुए परंतु आपके लोगों ने ही ऐसा हल्ला किया कि आप बोल नहीं पाए या नहीं बोले उसके बाद दूसरा अवसर नहीं आया पूरा वातावरण ऐसा हो गया कि कोई बातचीत हो

नहीं सकती है.अभी भी मसला कहीं चला नहीं गया है यह हो जाने दीजिये. आईये कक्ष में बैठकर बातचीत कर लेते हैं कि क्या तरीका निकाला जा सकता है.

(..व्यवधान..)

डॉ.नरोत्तम मिश्र - अध्यक्ष महोदय, काहे की बात अब.

(..व्यवधान..)

श्री कुणाल चौधरी - गृह मंत्री इस्तीफा दो.

(..व्यवधान..)

अध्यक्ष महोदय - विधान सभा की कार्यवाही दस मिनट के लिये स्थगित.

(11.06 बजे विधान सभा की कार्यवाही दस मिनट के लिये स्थगित की गई.)

11.17 बजे विधान सभा पुन: समवेत हुई.

(अध्यक्ष महोदय{श्री गिरीश गौतम} पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय - प्रश्न क्रमांक 3

श्री उमाकांत शर्मा - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत भयभीत हूं. मेरी जान को खतरा है.

अध्यक्ष महोदय - प्रश्न क्रमांक 3 श्री दिनेश राय "मुनमुन"

(..व्यवधान..)

अध्यक्ष महोदय - कृपया बैठ जाएं.

श्री उमाकांत शर्मा - अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है. गृह मंत्री जी, आप कुछ करिये.

11.18 बजे **गर्भगृह में प्रवेश**

सर्वश्री उमाकांत शर्मा,संजीव सिंह"संजू",कुंवर प्रद्युम्न सिंह लोधी,सदस्य द्वारा गर्भगृह में प्रवेश

(श्री उमाकांत शर्मा,श्री संजीव सिंह"संजू", कुंवर प्रद्युम्न सिंह लोधी गर्भगृह में आए एवं श्री उमाकांत शर्मा,जोर-जोर से अपनी बात कहने लगे.)

(..व्यवधान..)

अध्यक्ष महोदय - शर्मा जी, अपनी सीट पर जाईये. विधान सभा की व्यवस्था के लिये गृह मंत्री जी नहीं हैं.

(..व्यवधान..)

अध्यक्ष महोदय - शर्मा जी, अपनी सीट पर जाईये.

(..व्यवधान..)

अध्यक्ष महोदय - विधान सभा की कार्यवाही प्रश्नकाल तक के लिये स्थगित.

(11.19 बजे विधान सभा की कार्यवाही 12.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई.)

विधान सभा की कार्यवाही पुन: समवेत हुई

12.00 बजे (अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुये)

....(व्यवधान)...

अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय-- कल सदन में प्रश्नकाल के दौरान प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उल्लेख किया गया कि उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेने से सुरक्षाबलों द्वारा गेट पर रोका गया और उनके साथ धक्का-मुक्की की गई.

....(व्यवधान)...

ये कल वाली रिपोर्ट है उसी को पढ़ रहा हूं.

12.01 बजे गर्भगृह में प्रवेश

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य श्री पांची लाल मेड़ा द्वारा गर्भगृह में प्रवेश

(इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य श्री पांची लाल मेड़ा द्वारा शर्ट की बटन खुले हुये अपनी बात करते हुये गर्भगृह में प्रवेश किया गया)

....(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय-- मैं इन्हीं की रिपोर्ट को ही पढ़ रहा हूं (श्री पांचीलाल मेड़ा की ओर इशारा करते हुये)

....(व्यवधान)...

अध्यक्षीय व्यवस्था (क्रमश:)

अध्यक्ष महोदय-- माननीय सदस्यों द्वारा यह घटना संज्ञान में लाने पर मेरे द्वारा जांच कर कार्यवाही के निर्देश दिए गये. जबकि ये माननीय सदस्य अपने हाथों में प्रदर्शन हेतु तख्तियां लिये हुये थे, इस कारण सुरक्षा अमले द्वारा सभा के प्रवेश द्वार पर उनसे सदन में तख्तियां न ले जाने का अनुरोध किया गया एवं तख्तियां जमा कराने में यह स्थिति निर्मित हुई. परंतु मेरी जांच संबंधी व्यवस्था के बाद भी कतिपय माननीय सदस्य गर्भगृह में नारेबाजी करने लगे एवं एक माननीय सदस्य बिना अनुमति के अपने वस्त्र गृहमंत्री को दिखाने उनकी सीट तक पहुंच गए, जो उचित नहीं

था. इसी क्रम में सत्ता पक्ष के एक सदस्य के साथ भी सदन के अंदर धक्का-मुक्की की स्थिति निर्मित हुई, जो यदि वरिष्ठ सदस्य हस्तक्षेप न करते तो अधिक अप्रिय हो सकती थी. मेरे मत में ये स्थितियां मध्यप्रदेश विधान सभा की गौरवशाली परंपराओं, आचरण एवं गरिमा के प्रतिकूल होने के साथ दु:खद है.

मेरे द्वारा सभा के प्रवेश द्वार पर सुरक्षाकर्मियों द्वारा तख्तियां लेकर आने वाले माननीय सदस्यों से तख्तियां जमा कराने के समय निर्मित हुई स्थिति एवं सदस्यों के साथ सुरक्षा अमले के व्यवहार के संबंध में जांच के निर्देश के परिप्रेक्ष्य में प्रतिवेदन भी मुझे प्राप्त हो गया है. इसमें विधान सभा के अपर सचिव (सुरक्षा) द्वारा सुरक्षा अधिकारियों तथा संबंधितों से स्पष्टीकरण व जानकारी प्राप्त कर घटनास्थल के आसपास लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे के फुटेज आदि को गंभीरता पूर्वक देखकर प्रतिवेदन दिया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया द्वार पर माननीय सदस्यों के साथ धक्का-मुक्की एवं कपड़े फाड़े जाने जैसी स्थिति निर्मित होना नहीं पाया गया है. फिर भी मेरे द्वारा सत्र अवधि में सुरक्षा व्यवस्था के प्रभारी अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है कि वे माननीय सदस्यों की गरिमा एवं सम्मान का पूरा ध्यान रखें तथा उनके विधायी कार्य के निर्वहन में कोई बाधा उत्पन्न न हो यह सुनिश्चित करें. मेरा पूरा संरक्षण माननीय सदस्यों के साथ है.

साथ ही मेरी माननीय सदस्यों से भी अपेक्षा है कि कल सदन के गर्भगृह में जो स्थिति निर्मित हुई, वह सदन की गरिमा एवं हमारी गौरवशाली परंपराओं के अनुकूल न होने से भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी.

....(व्यवधान)...

12.03 बजे **गर्भगृह में प्रवेश**

इंडियन नेशनल कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में प्रवेश

(इंडियन नेशनल कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों द्वारा गर्भगृह में प्रवेश किया एवं नारे लगाये गये)

....(व्यवधान)...

12.03 बजे **नियम 276-क के अधीन विषय**

अध्यक्ष महोदय-- निम्नलिखित माननीय सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी.

1. श्री कमलेश्वर पटेल
2. श्री पी.सी. शर्मा
3. श्री कुंवर सिंह तेकाम
4. श्री रामलाल मालवीय
5. श्री विनय सक्सेना
6. श्री शशांक श्री कृष्ण भार्गव
7. इंजी. प्रदीप लारिया
8. डॉ. गोविन्द सिंह
9. श्री जालम सिंह पटेल
10. श्री बहादुर सिंह चौहान

....(व्यवधान)...

12.04 बजे **पत्रों का पटल पर रखा जाना.**

(1) मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 एवं 2019-2020

कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री गोपाल भार्गव)-- अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 (क्रमांक 16 सन् 1978) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 एवं 2019-2020 पटल पर रखता हूं.

(2) मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021

वन मंत्री (डॉ. (कुँवर) विजय शाह)-- अध्यक्ष महोदय, मैं, जैव विविधता अधिनियम, 2002 (क्रमांक 18 सन् 2003) के अंतर्गत बनाये गये नियम की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 पटल पर रखता हूं.

(3) (क) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन मध्यप्रदेश में वन्यप्राणी संरक्षण और वन्यप्राणी रहवासों के सतत् प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2022 का प्रतिवेदन क्रमांक-1,

(ख) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सिंध परियोजना चरण- II के उद्देश्यों की उपलब्धि के निष्पादन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2022 का प्रतिवेदन क्रमांक -2,

(ग) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन मध्यप्रदेश में 74 वें संविधान संशोधन के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या-3,

(घ) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या-4,

(ङ) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) से पूर्व और पश्चात् विद्युत वितरण कंपनियों के प्रदर्शन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या-5, एवं

(च) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या-6

वित्त मंत्री (श्री जगदीश देवड़ा)-- अध्यक्ष महोदय, मैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार-

(क) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन मध्यप्रदेश में वन्यप्राणी संरक्षण और वन्यप्राणी रहवासों के सतत् प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2022 का प्रतिवेदन क्रमांक-1,

(ख) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सिंध परियोजना चरण- II के उद्देश्यों की उपलब्धि के निष्पादन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2022 का प्रतिवेदन क्रमांक -2,

(ग) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन मध्यप्रदेश में 74 वें संविधान संशोधन के कार्यान्वियन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या-3,

(घ) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या-4,

(ङ) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) से पूर्व और पश्चात् विद्युत वितरण कंपनियों के प्रदर्शन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या-5, एवं

(च) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या-6 पटल पर रखता हूं.

(भारतीय जनता पार्टी एवं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में नारे लगाए जाते रहे.)

(व्यवधान..)

(4) मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग कार्पोरेशन एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब-पत्रक वित्तीय वर्ष 2019-2020.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री (श्री बिसाहूलाल सिंह)-- अध्यक्ष महोदय, मैं वेअरहाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग कार्पोरेशन एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब-पत्रक वित्तीय वर्ष 2019-2020 पटल पर रखता हूं.

(व्यवधान..)

(5) मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वार्षिक प्रतिवेदन क्रमश: वर्ष 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 एवं 2019-2020

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह)-- अध्यक्ष महोदय, मैं, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वार्षिक प्रतिवेदन क्रमश: वर्ष 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 एवं 2019-2020 पटल पर रखता हूं.

(व्यवधान..)

(6) मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022

श्रम मंत्री (श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह) -- अध्यक्ष महोदय, मैं भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 (क्रमांक 27 सन् 1996) की धारा 27 की उपधारा (5) के अधीन बनाये गये नियम 270 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 पटल पर रखता हूं.

(व्यवधान..)

(7) (क) क्रमांक एफ-12-24-2021-सत्रह-मेडि-03, भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर, 2021, तथा

(ख) क्रमांक एफ-12-06-2022-सत्रह-मेडि-3, भोपाल, दिनांक 06 मई, 2022

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. प्रभुराम चौधरी) -- अध्यक्ष महोदय, मैं मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 (क्रमांक 47 सन् 1973) की धारा 14 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(क) क्रमांक एफ-12-24-2021-सत्रह-मेडि-03, भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर, 2021, तथा

(ख) क्रमांक एफ-12-06-2022-सत्रह-मेडि-3, भोपाल, दिनांक 06 मई, 2022 पटल पर रखता हूं.

(व्यवधान..)

(8) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021

उच्च शिक्षा मंत्री (डॉ. मोहन यादव)-- अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्रमांक 20 सन् 1991) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 पटल पर रखता हूं.

(व्यवधान..)

(9) मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020 (01 जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020)

राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन (श्री इंदर सिंह परमार) -- अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020 (01 जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020) पटल पर रखता हूं.

(व्यवधान..)

(10) मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 31 मार्च, 2012

राज्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण (श्री रामखेलावन पटेल) -- अध्यक्ष महोदय, मैं आर्टीकिल्स ऑफ एसोसियेशन की कंडिका 83 (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए पटल पर रखता हूं. **(व्यवधान..)**

12.09 बजे ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय -- आज की कार्यसूची के पद क्रमांक-3 के उप पद 1 से 4 तक में सम्मलित ध्यानाकर्षण की सूचनाएं पढ़ी गई मानी जायेंगी और उनके उत्तर पटल पर रखे गये माने जायेंगे.

(व्यवधान..)

(भारतीय जनता पार्टी एवं_इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में नारे लगाए जाते रहे.)

12.10 बजे

प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) लोक लेखा समिति का चौंतीसवां से उनतालीसवां प्रतिवेदन

श्री पी. सी. शर्मा (सभापति) :- अध्यक्ष महोदय मैं, लोक लेखा समिति का चौंतीसवां से उनतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ.

(2) पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन

श्री पंचूलाल प्रजापति (सभापति) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन (पंचदश विधान सभा) प्रस्तुत करता हूँ.

12.11 बजे

आवेदनों की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय - आज की कार्य सूची में सम्मिलित सभी माननीय सदस्यों के आवेदन प्रस्तुत किए माने जाएंगे.

12.12 बजे **वर्ष 2022 - 2023 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान**

अध्यक्ष महोदय :- अब, अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा होगी. सदन की परम्परा के अनुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है.

अत: वित्त मंत्री जी सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें. मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है.

वित्त मंत्री (श्री जगदीश देवड़ा) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि –

" दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या **1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56 एवं 57** के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल **मिलाकर नौ हजार, पांच सौ उन्नीस करोड़, तीन लाख, सत्तर हजार, तीन सौ रुपये** की अनुपूरक राशि दी जाये. "

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

प्रश्न यह है कि –

" दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या **1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56 एवं 57** के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल **मिलाकर नौ हजार, पांच सौ उन्नीस करोड़, तीन लाख, सत्तर हजार, तीन सौ रुपये** की अनुपूरक राशि दी जाये. "

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

12.14 बजे **शासकीय विधि विषयक कार्य.**

1. मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2022 का पुर:स्थापन

वित्त मंत्री (श्री जगदीश देवड़ा) - अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2022 का पुर:स्थापन करता हूँ.

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाए.

अध्यक्ष महोदय - प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2022पर विचार किया जाए.

प्रश्न यह है मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अब, विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने.

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा - अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2022 पारित किया जाए.

अध्यक्ष महोदय - प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2022 पारित किया जाए.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2022 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

विधेयक पारित हुआ.

(इण्डियन नेशनल कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण गर्भगृह में लगातार नारेबाजी करते रहे.)

(व्यवधान...)

12:16 अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय :- आज की दैनिक कार्यसूची में अनुपूरक अनुमान के अतिरिक्त अन्य शासकीय विधेयक पुर:स्थापन, विचार एवं पारण के लिए सम्मिलित किये गये हैं. चूंकि इस सत्र हेतु शासकीय विधेयकों की अधिकता एवं विद्यमान सत्रावधि कम होने के कारण शासकीय विधेयकों की महत्ता, उपादेयता एवं पारण हेतु तात्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुए स्थाई आदेश की कंडिका-24 तथा मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के परन्तुक में विद्यमान अपेक्षाओं को शिथिल कर मैंने आज की कार्यसूची में सम्मिलित विधेयकों को आज ही पुर:स्थापन, विचार एवं पारण में लिए जाने की अनुज्ञा प्रदान की है.

मैं समझता हूँ सदन इससे सहमत है.

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.)

(2) मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022(क्रमांक) 10 सन 2022) का पुर: स्थापन.

वन मंत्री (डॉ. कुँवर विजय शाह) :-

अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाए.

अनुमति प्रदान की गई/

वन मंत्री (डॉ. कुँवर विजय शाह) :-

अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 का पुर:स्थापन करता हूं.

(3) मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022(क्रमांक 11 सन् 2022) का पुर: स्थापन.

वन मंत्री (डॉ. कुँवर विजय शाह) :-

अध्यक्ष महोदय, मैं, **मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022** के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि **मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022** के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाए.

अनुमति प्रदान की गई/

वन मंत्री (डॉ. कुँवर विजय शाह) :-

अध्यक्ष महोदय, मैं, **मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022** का पुर:स्थापन करता हूं.

(4) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2022(क्रमांक 12 सन् 2022) का पुर: स्थापन.

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) :-

अध्यक्ष महोदय, मैं, **मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2022** के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि **मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2022** के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाए.

अनुमति प्रदान की गई/

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) :-

अध्यक्ष महोदय, मैं, **मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2022** का पुर:स्थापन करता हूं.

(5) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022(क्रमांक 13 सन् 2022) का पुर: स्थापन.

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) :-

अध्यक्ष महोदय, मैं, **मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022** के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि **मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022** के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाए.

अनुमति प्रदान की गई.

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) :-

अध्यक्ष महोदय, मैं, **मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022** का पुर:स्थापन करता हूं.

(6) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2022(क्रमांक 15 सन् 2022) का पुर: स्थापन.

उच्च शिक्षा मंत्री (डॉ. मोहन यादव) :-

अध्यक्ष महोदय, मैं, **मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2022** के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि **मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2022** के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाय.

अनुमति प्रदान की गई/

उच्च शिक्षा मंत्री (डॉ. मोहन यादव) :-

अध्यक्ष महोदय, मैं, **मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2021** का पुर:स्थापन करता हूं.

(7) मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 18 सन् 2022) का पुर:स्थापन.

महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री (श्री भारत सिंह कुशवाह) :-

अध्यक्ष महोदय, मैं, **मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) संशोधन विधेयक, 2022** के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि **मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) संशोधन विधेयक, 2022** के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाए.

अनुमति प्रदान की गई/

महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री (श्री भारत सिंह कुशवाह) :-

अध्यक्ष महोदय, मैं, **मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) संशोधन विधेयक, 2022** का पुर:स्थापन करता हूं.

(भारतीय जनता पार्टी एवं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में नारे लगाए जाते रहे.)

(...व्यवधान)

(8) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 6 सन् 2022)

उच्च शिक्षा मंत्री (डॉ. मोहन यादव) :-

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि **मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022** पर विचार किया ज़ाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि **मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022** पर विचार किया जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि **मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022** पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/

अध्यक्ष महोदय:- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2 इस विधेयक के अंग बना.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

उच्च शिक्षा मंत्री (डॉ. मोहन यादव) :-

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि **मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022** पारित किया जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि **मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022** पारित किया जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि **मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022** पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ.

(9) मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 7 सन् 2022)

विधि एवं विधायी कार्य मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) :-

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि **मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022** पर विचार किया जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि **मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022** पर विचार किया जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि **मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022** पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय:- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2 इस विधेयक के अंग बना.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

विधि एवं विधायी कार्य मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) :-

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि **मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022** पारित किया जाए.

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि **मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022** पारित किया जाए.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि **मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022** पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/

विधेयक पारित हुआ.

(10) मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 8 सन् 2022)

सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री (श्री इन्दर सिंह परमार) :-

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि **मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (संशोधन) विधेयक, 2022** पर विचार किया जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि **मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (संशोधन) विधेयक, 2022** पर विचार किया जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि **मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (संशोधन) विधेयक, 2022** पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/

अध्यक्ष महोदय:- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 6 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2 से 6 इस विधेयक के अंग बने.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री (श्री इन्दर सिंह परमार) :-

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि **मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (संशोधन) विधेयक, 2022** पारित किया जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि **मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (संशोधन) विधेयक, 2022** पारित किया जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि **मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (संशोधन) विधेयक, 2022** पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ.

(भारतीय जनता पार्टी एवं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में नारे लगाए जाते रहे.)

12.25 बजे

(11) **मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता(संशोधन) विधेयक, 2022(क्रमांक 9 सन् 2022)**

राजस्व मंत्री,(श्री गोविन्द सिंह राजपूत):- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता(संशोधन) विधेयक, 2022) पर विचार किया जाए.

अध्यक्ष महोदय:- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाए.

अध्यक्ष महोदय:- प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता(संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय:- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

अध्यक्ष महोदय:- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक के अंग बने.

अध्यक्ष महोदय:- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

अध्यक्ष महोदय:- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री गोविन्द सिंह राजपूत:- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता(संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया जाए.

अध्यक्ष महोदय:- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया जाए.

अध्यक्ष महोदय:- प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता(संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

अध्यक्ष महोदय:- आज की कार्यसूची के पद 7 " शासकीय विधि विषयक कार्य" के उप पद 11 के पश्चात् निम्नानुसार जोड़कर पढ़ा जाए.

समय-12.26 बजे

(12) भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022(क्रमांक 16 सन् 2022) का पुर: स्थापन

वित्त मंत्री,(श्री जगदीश देवड़ा):- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्य प्रदेश स्टाम्प(संशोधन) विधेयक, 2022, के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाए.

अध्यक्ष महोदय:- प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाए.

अनुमति प्रदान की गयी.

12.27 बजे

(13) मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 17 सन् 2022) का पुर: स्थापन

वाणिज्यिक कर मंत्री, (श्री जगदीश देवड़ा):- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2022, के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाए.

अध्यक्ष महोदय:- प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2022 के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाए.

अनुमति प्रदान की गयी.

12.28 बजे

(14) मध्यप्रदेश माल और सेवाकर(संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 19 सन् 2022) का पुर: स्थापन

वाणिज्यिक कर मंत्री, (श्री जगदीश देवड़ा):- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2022 के पुर:स्थापनकी अनुमति दी जाए.

अध्यक्ष महोदय:- प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश माल और सेवाकर(संशोधन) विधेयक, 2022 के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाए.

अनुमति प्रदान की गयी.

12.29 बजे

(15) <u>मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022(क्रमांक 10 सन् 2022)</u>

वन मंत्री, डॉ.(कुंवर) विजय शाह:- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाए.

अध्यक्ष महोदय:- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय:- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

अध्यक्ष महोदय:- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2 इस विधेयक के अंग बने.

अध्यक्ष महोदय:- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

अध्यक्ष महोदय:- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ.(कुंवर) विजय शाह:- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 पारित किया जाए.

अध्यक्ष महोदय:-प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(भारतीय जनता पार्टी एवं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में नारे लगाए जाते रहे.)

12.30 बजे

(16) मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022

(क्रमांक 11 सन् 2022)

वन मंत्री (डॉ.(कुंवर) विजय शाह)- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 पर विचार किया जाये.

अध्यक्ष महोदय- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 पर विचार किया जाये.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 पर विचार किया जाये.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.

अध्यक्ष महोदय- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

अध्यक्ष महोदय- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

वन मंत्री (डॉ.(कुंवर) विजय शाह)- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 पारित किया जाये.

अध्यक्ष महोदय- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 पारित किया जाये.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 पारित किया जाये.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधयेक पारित हुआ.

12.32 बजे

(17) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2022
(क्रमांक 12 सन् 2022)

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह)- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाये.

अध्यक्ष महोदय- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाये.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाये.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3 तथा 4 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2, 3 तथा 4 इस विधेयक का अंग बने.

अध्यक्ष महोदय- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

अध्यक्ष महोदय- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह)- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया जाये.

अध्यक्ष महोदय- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया जाये.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया जाये.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधयेक पारित हुआ.

12.34 बजे

(18) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022

(क्रमांक 13 सन् 2022)

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह)- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाये.

अध्यक्ष महोदय- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाये.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाये.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक का अंग बने.

अध्यक्ष महोदय- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

अध्यक्ष महोदय- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह)- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया जाये.

अध्यक्ष महोदय- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया जाये.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया जाये.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधयेक पारित हुआ.

(भारतीय जनता पार्टी एवं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में नारे लगाए जाते रहे)

(व्यवधान)

12:35 बजे

(19) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 15 सन् 2022)

उच्च शिक्षा मंत्री (डॉ. मोहन यादव)-- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2022 पर विचार किया जाए.

अध्यक्ष महोदय-- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2022 पर विचार किया जाए.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2022 पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय-- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक का अंग बने.

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

उच्च शिक्षा मंत्री (डॉ. मोहन यादव)-- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2022 पारित किया जाए.

अध्यक्ष महोदय-- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2022 पारित किया जाए.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2022 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक परित हुआ.

12:36 बजे

(20) <u>भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 16 सन् 2022)</u>

वाणिज्यकर मंत्री (श्री जगदीश देवड़ा) -- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाए.

अध्यक्ष महोदय-- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाए.

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय-- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक का अंग बने.

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

वाणिज्यकर मंत्री (श्री जगदीश देवड़ा) -- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया जाए.

अध्यक्ष महोदय-- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया जाए.

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक परित हुआ.

12:38 बजे

(21) मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 17 सन् 2022)

वाणिज्यकर मंत्री (श्री जगदीश देवड़ा)-- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाए.

अध्यक्ष महोदय-- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाए.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय-- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बने.

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

वाणिज्यकर मंत्री (श्री जगदीश देवड़ा)-- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया जाए.

अध्यक्ष महोदय-- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया जाए.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ

(भारतीय जनता पार्टी एवं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में नारे लगाए जाते रहे)

(व्यवधान)

12.40 बजे

(22)मध्यप्रदेश माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक 2022(क्रमांक 19 सन् 2022)

वाणिज्यक कर मंत्री (श्री जगदीश देवड़ा) -- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाए.

अध्यक्ष महोदय -- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाए.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय -- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 20 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2 से 20 इस विधेयक के अंग बने.

अध्यक्ष महोदय -- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

अध्यक्ष महोदय -- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री जगदीश देवड़ा) -- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया जाए.

अध्यक्ष महोदय -- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया जाए.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

12.42 बजे

(23) मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 18 सन् 2022)

राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्री भारत सिंह कुशवाह) -- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) संशोधन विधेयक, 2022 पर विचार किया जाए.

अध्यक्ष महोदय -- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) संशोधन विधेयक, 2022 पर विचार किया जाए.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) संशोधन विधेयक, 2022 पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय -- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.

अध्यक्ष महोदय -- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

अध्यक्ष महोदय -- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्री भारत सिंह कुशवाह) -- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) विधेयक, 2022 पारित किया जाए.

अध्यक्ष महोदय -- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) विधेयक, 2022 पारित किया जाए.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) विधेयक, 2022 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(भारतीय जनता पार्टी एवं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में नारे लगाए जाते रहे)

(व्यवधान)

12.43 बजे

<u>विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाना : प्रस्ताव</u>

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) -- अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के वर्तमान सत्र के लिए निर्धारित समस्त वित्तीय एवं अन्य आवश्यक शासकीय कार्य पूर्ण हो चुके हैं. अत: मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 12-ख के द्वितीय परंतुक के अंतर्गत, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए.

अध्यक्ष महोदय -- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

12.44 बजे

<u>राष्ट्रगान "जन गण मन" का समूह गान</u>

अध्यक्ष महोदय -- अब राष्ट्रगान (जन गण मन) होगा.

(माननीय सदस्यों द्वारा राष्ट्रगान "जन गण मन" का समूह गान किया गया)

12.45 बजे

सदन का कार्यवाही का अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना : घोषणा

अध्यक्ष महोदय -- विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित.

अपराह्न 12.45 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की गई.

भोपाल

दिनांक : 15 सितम्बर, 2022

ए.पी. सिंह

प्रमुख सचिव

मध्य प्रदेश विधान सभा